पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 247/2022

अनवान :

वसीम अकरम पुत्र समीम बेगम पत्नी मौहम्मद आयुब उर्फ अकबर अली जाति मुस्लिम (कुरेशी) निवासी सिद्धमुख जिला चुरू।

:– वादी

बनाम

1. मौहम्मद अयुब उर्फ अकबर अली पुत्र बुलेखां जाति कुरेशी मुस्लिम निवासी सिद्धमुख जिला चुरू।
2. शहनाज पुत्री समीम बेगम पत्नी मौहम्मद आयुब उर्फ अकबर अली जाति कुरेशी मुस्लिम निवासी सिद्धमुख जिला चुरू।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 724/283 के खसरा सं0 1129 की 0.6830है0, खसरा सं0 192/4 की 0.8090है0 की कुल 1.4920है0 वादभूमि में 253/1492 हिस्सा तथा रोही अजीतपुरा के ही खाता सं0 199/660 के ख0सं0 1130 की 4.5270है0, ख0सं0 1195 की 2.1370है0,ख0सं0 1196 की 1.0240है0, ख0सं0 315/1 की 2.3650है0, ख0सं0 867 की 2.0870है0 कुल 12.1400है0 में 283/3035 हिस्सा व अजीतपुरा के खाता सं0 759/693 के ख0सं0 405/1200 की 1.0110है0 में सम्पूर्ण हिस्सा तथा अजीतपुरा के ही खाता सं0 171/458 के ख0सं0 1316/1200 की 1.1510है0, ख0स0 181/1 की 0.9730है0 कुल 2.1240है0 में 575/2124 हिस्सा वादभूमि समीम बेगम के नाम दर्ज है उक्त सम्पूर्ण वाद भूमि में सें समीम बेगम का नाम कलमजन कर वादी वसीम अकरम, प्रतिवादी सं0 1 मौहम्मद अयुब उर्फ अकबर अली व प्रतिवादी सं0 2 शहनाज को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner